सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 15 / प्रा0पत्र / 2025 **दायरा दिनांक :–20.01.2025**

उनवान

1. देवलाल सैनी आ0 स्व0 गोकल जाति माली निवासी कुम्हारों का बरडा चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री गिरधर सैन
वकील अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी अधिकार की भूमि खाता संख्या नया 274 पुराना 159 खसरा सख्या 1831 / 1427 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 0.2995 हैक्टेयर वाके ग्राम चेंता पटवार मण्डल चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 86 पर आने जाने ट्रेक्टेर, टॉली लाने ले जाने हेतु भूमि के करीब 12 फिट चोडा व करीब 300 फिट लम्बा रास्ता पूर्व से पश्चिम की आरे खसरा संख्या 93 में अर्सा कदीम से बना हुआ है उक्त रास्ते के दक्षिणी ओर रतनलाल पिता बद्री ब्राहम्ण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है, जिसने पोल गाडकर अपनी भूमि की सीमाबन्दी कर रास्ते की भूमि छोडी हुई है तथा रास्ते के दक्षिणी उत्तरी ओर सरकारी भूमि खसरा संख्या 93 का भू–भाग विस्थित है। चरण संख्या 2 वर्णित रास्ता कस्बा हिण्डोली से कुम्हारो का बरडा होते हुए चेंता जाने वाले मुख्य रास्ते से होकर जाता है। जो गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है जो अर्सा कदीम से बना हुआ है। जिससे होकर ग्राम कुम्हारों का बरडा, चेंता व अन्य मजरो के व्यक्ति हिण्डोली आते जाते है व अपने साधन लाते–ले जाते है। तहसील हिण्डोली के अधिकारी कर्मचारी व पटवारी प्रार्थी का यदा–कदा टोकते है, परेशान करते रहते है तथा कहते कि यह रास्ते की भूमि नहीं है, तुमने जबरन सरकारी भूमि पर रास्ता बना दिया, कभी कहते है कि रास्ते को सकडा कर दिया, बबूल हटा दिये तथा पडोसी अतिक्रमियों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्धेश्य से उक्त रास्ते को सकडा करने अथवा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का पूर्ण अन्देशा है जिसमें भविष्य में विाद होने की संभवाना से इन्कार नही किया जा सकता। इस कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ाना न्यायोचित एवं अतिआवश्यक है। प्रार्थी मौके पर मोजूद प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु नियमानुसार प्रार्थी राशि जमा करवाने को तैयार है। अप्रार्थी को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्र में होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर मय तलबाने पेश है। अन्य तथ्य बवक्त बहस निवेदन कर दिये जावेगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 86 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 93 में पूर्व से पश्चिमी ओर करीब 12 फिट चोडे व 300 फिट लम्बे रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/604 दिनांक :–23.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 86 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम चेता पटवार मण्डल चेंता में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 93 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 93 में से 13 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 274 के खसरा संख्या 86 वाके ग्राम चेंता पटवार मण्डल चेंता में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाल के खसरा 93 में से कुल 13 फीट चौडे व 265 फुट लम्बे रास्ते में कुल 0.0324 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 761000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0324 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 24656/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 49313/रू– का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान करने उपरान्त/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdmhdoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

र्शीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 30.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446